

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2015

का.आ. 476(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 10.03.1997 की अधिसूचना सं० का०आ० 180 (अ०) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, (गुजरात राज्य शाखा), डा. विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380015” द्वारा “गुजरात राज्य में दृष्टिहीनों का पुनर्वास और शिक्षा” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 13 पर अधिसूचित किया गया ; जिसे बाद में दिनांक 23.03.2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 158(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2000-2001 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; और जिसे बाद में दिनांक 30.12.2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1383(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2003-04 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 04.09.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1417(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 के साथ आरंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2395(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 16.03.2012 के अधिसूचना सं. का.आ. 463(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 4.09.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1417(अ) द्वारा अनुमानित लागत को 54.45 लाख रुपए से 1.22 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था और दिनांक 3.10.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2395 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 1.22 करोड़ रुपए से 3.43 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के सतरह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “नेशनल एसोसिएशन फार दी ब्लाइंड, (गुजरात राज्य शाखा), डा. विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद, गुजरात-380015” द्वारा चलाई जा रही “गुजरात राज्य में दृष्टिहीनों का पुनर्वास और शिक्षा” की परियोजना अथवा स्कीम को 3.43 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ;

[सं. 106/2015/फा. सं. वी -27015/4/2014-एसओ (रा.स.)]

मकखन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)